# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर
## बईजलास श्री ए.एच. गौरी, आर0ए0एस0

**नम्बर मुकदमा : पंचायत निगरानी 51/2016**

**अनवान :–**

बजरंगलाल पुत्र मायाराम गौड जाति ब्राहम्मण निवासी कालू, तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर

–निगरानीकर्ता

–: बनाम :–

ग्राम पंचायत, कालू जरिये सरपंच ग्राम पंचायत कालू, पं.स. लूणकरणसर जिला बीकानेर

–गैर निगरानीकर्ता

निगरानी अर्न्तगत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति :–

1– निगरानीकर्ता की और से – श्री सत्यपाल शहू एडवोकेट
2– गैरनिगरानीकर्ता की ओर से – अनुपस्थित।

::निर्णय:: दिनांक 28.06.2019

1. निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता श्री बजरंगलाल पुत्र मायाराम गौड जाति ब्राहम्मण निवासी कालू तहसील लूणकरणसर ने ग्राम पंचायत कालू के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि जिला कलक्टर के निर्णय दिनांक 31.3.2001 के अनुशरण में दुकान के लिए भूमि आवंटन की जावे। ग्राम पंचायत कालू ने दिनांक 20.9.16 को मौका कमेटी रिपोर्ट के आधार पर निगरानीकर्ता को पूर्व जो भूमि आवंटित की गई थी, वहां पर वर्तमान में भूमि खाली नहीं है तथा पंचायत के पास अन्य स्थान पर भी आवंटन हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है, जिसके विरूद्ध प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि निगरानीधीन आदेश दिनांक 20.09.2016 निरस्त फरमाया जाकर प्रार्थी की दुकान द्वारा किसी प्रकार से सार्वजनिक सुविधा में अवरोधक नहीं होने के कारण बाद जांच (नियमन)आवंटन हेतु ग्राम पंचायत को निर्देशित किया जावे।

2. उक्ताशय की निगरानी प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर गैर निगरानीकर्ता को जरिये नोटिस तलब किया गया व मूल रिकार्ड मंगवाये जाने के आदेश दिये गये । गैर निगरानीकर्ता को जरिये रजिस्टर्ड डाक तलब किया गया लेकिन इनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। लिहाजा अप्रार्थी/गैरनिगरानीकर्ता के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तदन्तर मूल रिकार्ड प्राप्त होने पर मामले के गुणावगुण पर इकतरफा बहस सुनी गई।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

3. प्रार्थी निगरानीकर्ता के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी के बिन्दुओं को दौहराते हुवे निवेदन किया कि प्रार्थी की दुकान वर्ष 1975 से पूर्व से मौके पर चालू है एवं बिना किसी अवरोध के प्रार्थी चाय आदि का कार्य कर अपना जीवन यापन कर रहा है । ग्राम पंचायत ने हटाने के लिए कहा तब इसकी अपील पंचायत समिति में की। पंचायत समिति के आदेश की निगरानी श्रीमान् जिला कलक्टर बीकानेर के यहां की गई। जिसमें जिला कलक्टर बीकानेर के निर्णय में वैकल्पिक आवंटन तक कब्जा नहीं हटाने के आदेश दिया गया। ग्राम पंचायत कालू द्वारा बिना प्रार्थी को सूचना दिये बिना नोटिस मौका जांच किये एक प्रिंटेड प्रपत्र पर पूर्व में आवंटित स्थान पर भूमि खाली नहीं दर्ज करते हुए मौका कमेटी रिपोर्ट के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा सरसरी तौर पर बैठक में सर्वसहमति से प्रार्थना पत्र खारिज किया है। जबकि प्रार्थी की दुकान (खोखे) एवं सामने निर्मित पक्की दुकाने के मध्य 40–50 फुट चौड़ा रास्ता मौके पर स्थित है एवं प्रार्थी की दुकान मुख्य सड़क बाजार में भी स्थित नहीं है। प्रार्थी की दुकान के आगे विद्युत विभाग का खम्भा लगा है एवं खोखे के पीछे भी 15–20 फुट का रास्ता मौके पर चालू है । मौके पर चालू दुकान का 1978 से लगातार ग्राम पंचायत द्वारा किराया वसूल किया जाता रहा है। प्रार्थी का उक्त दुकान में जल एवं विद्युत कनेक्शन लगा हुआ है। इसलिए लगातार ग्राम पंचायत की स्वीकृति से 40 वर्षो से किराया अदा किये जाने पर प्रार्थी वैध टीनेंट है। अधिवक्ता ने अन्त में निवेदन किया कि निगरानीधीन आदेश दिनांक 20.9.2016 निरस्त फरमाया जाकर निगरानी स्वीकार फरमाई जावें एवं मौका पर प्रार्थी की दुकान द्वारा किसी भी प्रकार से सार्वजनिक सुविधा में अवरोधक नहीं होने के कारण उसकी बाद जांच (नियमन) आवंटन हेतु ग्राम पंचायत को निर्देशित किया जावे।

4. हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं जैर निगरानी पत्रावली का ध्यानपूर्व अवलोकन किया एवं प्रार्थी अधिवक्ता की इकतरफा बहस पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम ग्राम पंचायत कालू की मिसल संख्या 85/96–97 में पारित निर्णय दिनांक 21.12.1996 के द्वारा निगरानीकर्ता के अतिरिक्त अन्य कुल 27 व्यक्तियों द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाने का निर्णय लिया गया के विरूद्ध अपील पंचायत समिति लूणकरणसर की स्थायी समिति के द्वारा दिनांक 23.12.1999 को स्वीकार करते हुवे अपीलकर्ताओं को बेदखल नहीं करने का हुआ है। उक्त निर्णय के विरूद्ध निगरानी न्यायालय जिला कलक्टर महोदय के समक्ष ग्राम पंचायत की ओर से निगरानी संख्या 11/2000 पेश हुई। जिसमें निर्णय दिनांक 31.2.2001 को यह किया गया कि प्रशासन स्थायी समिति पंचायत समिति लूणकरणसर के निर्णय दिनांक 23.12.1999 को निरस्त किया जाता है परन्तु न्याय हित में जब तक दूसरी भूमि आवंटन नहीं की जाती है तब तक इन्हें बेदखल नहीं

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

किया जावें। जिसकी पालना में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20.7.2001 को कालू से सरदारशहर सड़क की दक्षिण की तरफ 14 वर्गमीटर भूमि 5/– रू. प्रति वर्गमीटर के हिसाब से 3 वर्ष के लिए किराये पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। दिनांक 5.9.2016 को प्रार्थी के आवेदन पर जिला कलक्टर महोदय के निर्णय दिनांक 31.3.2001 एवं पंचायत के निर्णय दिनांक 20.7.2001 के अनुशरण में आवंटित की गई भूमि को उपयुक्त नहीं होने के आधार पर अन्य उपयुक्त भूमि आवंटित करने का निवेदन किया जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20.9.2016 को यह निर्णय लिया गया है कि पंचायत के पास अन्य स्थान पर आवंटन हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है। अतः पत्रावली दाखिल दफ्तर की जावे। उक्त आदेश के विरूद्ध निगरानीकर्ता ने यह निगरानी प्रस्तुत की है। निगरानीकर्ता ग्राम पंचायत कालू में वर्षो पुराना कब्जा होने संबंधी तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध है तथा उक्त कब्जे के बदले अन्यत्र भूमि आवंटन/नियमन संबंधी आदेश भी उपलब्ध है। ग्राम पंचायत कालू द्वारा प्रार्थी को दिनांक 20.7.2001 को भूमि 5/– रू प्रति वर्ग मीटर के आधार पर किराये पर आवंटित करने का निर्णय भी लिया गया है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा वैकल्पिक आवंटन/नियमन के निगरानीकर्ता के प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निर्णय उचित नहीं है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार करते हुवे ग्राम पंचायत के निर्णय दिनांक 20.9.2016 को निरस्त किया जाता है।

6. निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । अधीनस्थ न्यायालय की मूल रिकार्ड मय निर्णय प्रति के साथ प्रेषित की जावे।

जिला कलक्टर (न्यायिक) बीकानेर

( ए.एच. गौरी )
अति.जिला कलक्टर (प्र.)
बीकानेर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner